संख्या-162/2025/281 के-2/22-3-2024-17(196)/2024

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवंसुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 15 मई, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी मोन्टू उर्फ ज्ञान प्रकाश शुक्ला पुत्र स्व0 राम शंकर, निवासी जनपद-लखनऊ की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक, (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-2599/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-12.01.2024) दिनांक-29.01.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी मोन्टू उर्फ ज्ञान प्रकाश शुक्ला पुत्र स्व0 राम शंकर, जो ग्राम-आदर्श पुरम त्रिवेणी नगर तृतीय अलीगंज, थाना-अलीगंज, जनपद-लखनऊ का निवासी है। फलमण्डी में आढ़त की रंजिश को लेकर दिनांक 21.08.2009 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर असलहों से गोली मारकर आले उमर उर्फ अली अहमद नामक व्यक्ति की हत्या कर दी तथा 01 अन्य व्यक्ति घायल किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-422/2010 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302, 307 व 3/25 आर्म्स एक्ट में मा0 विशेष न्यायाधीश, गैंगेस्टर एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-05, लखनऊ के आदेश दिनांक 13.01.2020 द्वारा आजावीन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 22.09.2023 तक 14 वर्ष 27 दिन की अपरिहार तथा 15 वर्ष 01 माह 20 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा बन्दी की आयु 41 वर्ष, 01 माह, 22 दिन है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज विरोधी होने, बन्दी के पुन: अपराध कारित किये जाने की संभावना से इंकार नहीं किये जाने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के स्थानीय थाना का हिस्ट्रीशीटर होने, बंदी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा ठीक नहीं होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि फलमण्डी में आढ़त की रंजिश को लेकर दिनांक 21.08.2009 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर असलहों से गोली मारकर आले उमर उर्फ अली अहमद नामक व्यक्ति की हत्या कर दी तथा 01 अन्य व्यक्ति को घायल करने का का जघन्य अपराध कारित किया

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज विरोधी होने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी मोन्टू उर्फ ज्ञान प्रकाश शुक्ला पुत्र स्व0 राम शंकर को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी मोन्टू उर्फ ज्ञान प्रकाश शुक्ला (बंदी संख्या-453/2023) पुत्र स्व0 राम शंकर, निवासी जनपद-लखनऊ के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
3- जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-162/2025/281 के-2/22-3-2024-17(196)/2024

दिनांक 15 मई, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी मोन्टू उर्फ ज्ञान प्रकाश शुक्ला पुत्र स्व0 राम शंकर, जो ग्राम-आदर्श पुरम त्रिवेणी नगर तृतीय अलीगंज, थाना-अलीगंज, जनपद-लखनऊ का निवासी है। फलमण्डी में आढ़त की रंजिश को लेकर दिनांक 21.08.2009 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर असलहों से गोली मारकर आले उमर उर्फ अली अहमद नामक व्यक्ति की हत्या कर दी तथा 01 अन्य व्यक्ति घायल किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-422/2010 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302, 307 व 3/25 आर्म्स एक्ट में मा0 विशेष न्यायाधीश, गैंगेस्टर एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-05, लखनऊ के आदेश दिनांक 13.01.2020 द्वारा आजावीन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 22.09.2023 तक 14 वर्ष 27 दिन की अपरिहार तथा 15 वर्ष 01 माह 20 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा बन्दी की आयु 41 वर्ष, 01 माह, 22 दिन है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज विरोधी होने, बन्दी के पुनः अपराध कारित किये जाने की संभावना से इंकार नहीं किये जाने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के स्थानीय थाना का हिस्ट्रीशीटर होने, बंदी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा ठीक नहीं होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि फलमण्डी में आढ़त की रंजिश को लेकर दिनांक 21.08.2009 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर असलहों से गोली मारकर आले उमर उर्फ अली अहमद नामक व्यक्ति की हत्या कर दी तथा 01 अन्य व्यक्ति को घायल करने का का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज विरोधी होने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी मोन्टू उर्फ ज्ञान प्रकाश शुक्ला पुत्र स्व0 राम शंकर को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in